प्रकरण संख्या 3/2025 वगता बनाम चुन्नीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता, तहसील कानोड़ में प्रार्थीगण व उसके परिवार की आराजी नंबर 823 से 831, 853 से 855, 858 से 863 कुल किता 18 रकबा 1.9600 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार आराजी नंब 864 से 871 कुल किता 8 रकबा 3.2500 हैक्टर भूमि विपक्षीगणों के नाम अंकित है, जिसमें से खसरा नंबर 864 के उत्तर में 20 फिट चौड़ा रास्ता है, जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेतों में बाप–दादाओं के समय से आते–जाते हैं। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगणों ने रास्ते की भूमि को जे.सी.बी. से खोदकर भराव डाल दिया है, जिससे रास्ता बाधित हो गया है। अतः प्रार्थीगण को उक्त आराजी नंबर 864 से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व नक्शे में कायम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 05.07.2022 को रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 7 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश डांगी उपस्थित। अपीलान्ट की अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.12.2024 को नकल प्राप्त होने पर हुई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हालांकि अपील प्रस्तुत करने में करीब 2½ वर्ष का विलम्ब हुआ है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि देरी के मामले में लचीला रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। तद्नुसार प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा मांगा गया रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है, मौके पर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 के खातेदारी का खेत है, जिसमें वर्तमान में गेहूँ की फसल बो रखी है तथा खेत में लगभग 300 से 500 मीटर लम्बी बाड बनी हुई है, जिसमें हरे वृक्ष खड़े है और झाड़िया स्थित है। मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मिलीभगत से गलत बनायी गयी है। अपीलान्ट को प्रकरण के नोटिस कभी भी तामिल नहीं हुए, जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर जवाब व दस्तावेज लेकर प्रकरण में विधि के आलोक में निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2023 (1) Page 490 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि नोटिस अपीलान्ट के पुत्र को तामील हुआ है तथा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार कानोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2022 CT (Raj) Page 64 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट की तामील उनके पुत्र को हुई है, किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि उनका अपने पुत्र से कई वर्षो से बोलचाल बन्द है तथा दोनों अलग–अलग रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण की बहस व मौके रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि विधि अनुसार जिस खातेदार की भूमि से रास्ता दिया जाता है, उसे सुना जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRT 2023 (1) Page 490 अनुसार एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय कानून के खिलाफ होने से अपास्त योग्य है। हम प्रकरण में यह पाते हैं कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने प्रस्तुत की है उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 16/2022 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर धारा 251–क रा.का.अ. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 3/2025 वगता बनाम चुन्नीलाल व अन्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested